

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 311/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पता तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर,
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सचिन मिश्रा

पता :- प्लॉट नम्बर 252, महादेव नगर, निवारू रोड, जयपुर

एवं फ्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 25, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मी नगर,
निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।

एवं ओएलएक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कार वन यूजड कार, सनसाइन एनक्लेव, जयपुर।

एवं 899, गजेन्द्र कॉलोनी, शमशान रोड, जोधपुर।

2. वीना मिश्रा

पता :- प्लॉट नम्बर 252, महादेव नगर, निवारू रोड, जयपुर

एवं फ्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 25, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मी नगर,
निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002


उपस्थित:-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 15.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.08.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती वीना मिश्रा के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 25, योजना स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जिला जयपुर विल्ट अप एरिया 686.74 वर्गफिट, सुपर विल्ट अप एरिया 824 वर्गफिट को बन्धक रखकर कुल राशि 18,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 18,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 16,26,987/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.09.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी श्रीमती वीना मिश्रा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 25, योजना स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जिला जयपुर विल्टअप ऐरिया 686.74 वर्गफिट, सुपर विल्टअप ऐरिया 824 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर

वाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर